

मणपुर में हसिया

यह एडटीरयिल 05/05/2023 को 'द हंडि' में प्रकाशित "What is behind Manipur's widespread unrest?" लेख पर आधारित है। इसमें गैर-जनजातीय मैत्रई समुदाय और अन्य जनजातीय समूहों के बीच संघर्ष के कारणों और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

संदर्भ

गैर-जनजातीय मैत्रई (Meitei) समुदाय को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe- ST) का दरजा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के मणपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणपुर में संप्रदायिक हसिया भड़क गई।

- अनुसूचित जनजाति मैत्रई को शामिल करने के कथित कदम के बहिर्दृष्टि अखलि जनजातीय छातर संगठन मणपुर (All-Tribal Student Union Manipur- ATSUM) द्वारा 'जनजातिएकजुट्टा रैली' आयोजित किये जाने के बाद हसिया बढ़ गई।

मणपुर की जातीय संरचना

- मणपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है जिसके मध्य में इफाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ गैलरी हैं। घाटी—जिसमें मणपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, में गैर-जनजातीय मैत्रई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी नियमान्वयन करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 प्रदान करते हैं।
- राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का नियमान्वयन करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक दरजा-प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायिक ही भेजते हैं।
- जबकि अधिकांश मैत्रई हंडि हैं और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हसियेदारी मुस्लिम समुदाय की है, 33 दरजा-प्राप्त जनजातियाँ—जिन्हें मोटे तौर पर 'कोई भी नगा जनजाति' (Any Naga tribes) और 'कोई भी कुकी जनजाति' (Any Kuki tribes) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्यतः ईसाई हैं।

ST दरजे की मांग के समर्थन में मैत्रई समुदाय का क्या तरक्क है?

- मैत्रई लोगों के लिये ST दरजे की मांग वर्ष 2012 में मणपुर अनुसूचित जनजातिमांग समिति (Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur- STDCM) द्वारा शुरू की गई।
 - वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैत्रई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैत्रई समुदाय मानता है कि ST का दरजा समुदाय को 'संरक्षित' करने और उनकी 'पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृतिएँ' की रक्षा' के लिये आवश्यक है।
 - वर्ष 1972 में केंद्रशासित प्रदेश मणपुर को भारत का 19वाँ राज्य बनाया गया।
 - मैत्रई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के बहिर्दृष्टि संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जहाँ राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है लेकिन वहाँ के जनजातीय लोग सकुटियाँ जा रही इफाल घाटी में भूमिखरीद सकते हैं। मैत्रई समुदाय यह आशंका रखता है कि 'वृहत नगालिम' (Greater Nagalim) का सृजन मणपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा।
- उनके अनुसार, मैत्रई समुदाय धीरे-धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुँचता जा रहा है।
 - वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, घटकर 44% रह गई।
- नगा और कुकी आंदोलनों ने भी मैत्रई राष्ट्रवाद को हवा दी। 1970 के दशक में जनसांख्यिकीय परविरतन और पारंपरिक मैत्रई क्षेत्रों के सक्रियान्वयन पर चिंताएँ उभरने लगी।
- वर्ष 2006-12 की अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिये मणपुर में [इनर लाइन प्रमटि \(ILP\)](#) की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी-जोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकीय परविरतन के भय को हवा दी।
 - मणपुर की जनसंख्या की वृद्धिवर्ष 1941-51 की अवधि में 12.8% थी जो वर्ष 1951-61 के दौरान बढ़कर 35.04% और वर्ष 1961-71 में 37.56% हो गई जब प्रमटि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- मणपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और अनुसूचित जनजातियों के लिये नौकरियों में आरक्षण एक तुलनात्मक लाभ का सृजन करता है।
 - अवसरचना विकास (जैसे रेलवे का विस्तार जो मणपुर में अवसरों के द्वारा खोलेगा) ने असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है।

जनजातीय समूह मैत्रई को ST दर्जा देने के विरुद्ध क्यों हैं?

- मैत्रई समुदाय जनसंख्यकीय एवं राजनीतिकीला भी की स्थिति रखता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है।
 - मैत्रई को ST का दर्जा मिलने से उनके लिये नौकरी की अवसरों की हानिहोगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहाँ से बेदखल करने का अवसर मिलेगा।
- मैत्रई लोगों की भाषा (मैत्रई या मणपुरी) संवधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई की SC, OBC या EWS दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुँच है।
- कुकी और नगा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैत्रई बहुल इंफाल घाटी पर केंद्रित रहता है।

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिये अनुशंसा करती हैं।
- राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करता है और उन्हें गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन के लिये भेजता है।
- अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और फिर अंतमि नियम के लिये केंद्रीय मंत्रमित्र नियम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- एक बार जब मंत्रमित्र इसे अंतमि रूप प्रदान कर देता है, तब वह संवधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संवधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिये संसद में एक विधियक पेश करता है।
- संशोधन विधियक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिये जाने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संवधान के [अनुच्छेद 341 और 342](#) के तहत इस पर अंतमि नियम के लिये लेता है।

हाल की अशांतिक्यों उत्पन्न हुई?

- जबकि विन क्षेत्रों से जनजातीय लोगों की बेदखली और मैत्रई के लिये ST दर्जे की मांग हाल के सबसे प्रमुख प्रेरक कारक रहे हैं, वस्तुतः पछिले एक दशक से वभिन्न मुद्दों को लेकर मैत्रई समुदाय और जनजातीय समूहों के बीच विभाजन बढ़ा है।
- **परसीमन प्रक्रिया में विद्यमान समस्याएँ:** वर्ष 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद से पहली परसीमन प्रक्रिया शुरू की तो मैत्रई समुदाय ने आरोप लगाया कि इसके लिये उपयोग किये गए जनगणना के आँकड़े जनसंख्या विभाजन को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं।
 - दूसरी ओर जनजातीय समूहों (कुकी और नागा) का दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हस्तेदारी 40% हो गई है लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है।
- **पड़ोसी क्षेत्र से प्रवासियों की घुसपैठ:** मयांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। मैत्रई नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुराचांदपुर ज़िले में अचानक गाँवों की बाढ़ आ गई है।
- **नशीले पदार्थों की समस्या:** कुछ जनजातीय समूह नहिंति सवारथों के करण नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के सघन अभियान को विफिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
 - अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया था। मणपुर के कुकी-ज़ोमी समुदाय से संबंधित 'अवैध आप्रवासी' साफ की गई जमीनों पर नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं।
- **हाल की अशांति:** पहला हसिक वरिधि तब भड़क उठा जब एक कुकी ग्राम के नविसियों को वहाँ से बेदखल किया गया।
 - चुराचांदपुर-खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र (चुराचांदपुर और नोनी ज़िलों में) के 38 गाँव 'अवैध बस्ती' हैं और इसके नविसी 'अतिक्रमणकर्ता' हैं जिन्होंने अफीम की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार के लिये आरक्षित एवं संरक्षित वनों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों का अतिक्रमण किया है।
 - कुकी समूहों ने दावा किया है कि सरकारी और निषिकासन [अनुच्छेद 371C का उल्लंघन](#) है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के नविसी हैं।
 - अनुच्छेद 371C मणपुर विधानसभा की एक समतिके नियमों का प्रावधान करता है जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे और उस समतिके उपयुक्त कार्यकरण की जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी।
 - राज्य सत्र पर मणपुर विधानसभा (पहाड़ी क्षेत्र समति) आदेश, 1972 के तहत गठित पहाड़ी क्षेत्र समति (Hill Area Committee) मौजूद है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निवाचित सभी विधायक पहाड़ी क्षेत्र समति के सदस्य होते हैं।
 - राज्य सरकार दो कुकी चरमपंथी समूहों के साथ हस्ताक्षरति अभियान निलंबन समझौते से बाहर नकिल गई है क्योंकि वे प्रदर्शनकारियों को उकसाने से संलग्न पाए गए हैं।

मणपुर का भूगोल और मणपुर में हसिक का इतिहास

CHEQUERED HISTORY



NSCN-IM

Integration of Naga-inhabited areas of Northeast is the core demand of NSCN-IM which has been holding peace parleys with the Centre. There was violent protest in Manipur in 2001 when the cease fire agreement signed between the Government of India and NSCN-IM was extended.

Manipur, which has over 35 communities inhabiting the valleys and hills of the state, has a chequered history of violent and deadly clashes.

Naga-Kuki Fight

The Kukis are hill tribes spread across the Northeast besides Myanmar and the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. On September 13, 1993, militants of National Socialist Council of Nagaland (Isak Muivah) massacred around 115 Kuki civilians in the hills of Manipur. However, NSCN-IM refuted the allegation.

The rivalry between Nagas and Kuki started in the colonial era. In 1990 there were clashes over land. Kukis often claimed 350 of their villages were uprooted, over 1,000 killed and 10,000 were people displaced. Chins are called Kukis on the Indian side.

Meitei Pangal and Meiteis

In 1993 there were clashes between Meitei Pangal (Muslim) and Meitei. A bus carrying Muslim passengers was set on fire. Over 100 people were killed.

Insurgency

Manipur had scores of militant outfits and violence was largely triggered by insurgents.

Valley-based militant outfits (Meitei groups) such as the UNLF, PLA, KYKL etc. are yet to come to the negotiating table.

The Kuki outfits under two umbrella groups, the Kuki National Organisation (KNO) and United People's Front (UPF), also signed the tripartite Suspension of Operation (SoO) pacts with the Centre and Manipur on August 22, 2008.

Hill and Valley



The current conflict between Meiteis and ~~Meiteis~~ is the extension of hills versus plains conflict. Meiteis account for 93% of the population, while tribal communities account for around 40% of the population. Naga tribes make up for (24%) and Kuki/Zomi tribes (16%).

- मणपुर में 16 ज़लिए हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को 'घाटी' और 'पहाड़ी' ज़लिए में वभिजति नकिय के रूप में देखा जाता है। इफाल पूरव, इफाल पश्चिम, थोबल, बषिणपुर और काचगि जैसे आज के घाटी ज़लिए नगिथोजा राजवंश (Ningthouja dynasty) द्वारा शासन पूरववर्ती कांगलीपाक (Kangleipak) राज्य के अंग थे।
- मणपुर घाटी छोटी-छोटी पहाड़ियों से घरी हुई है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में 15 नगा जनजातियों और चनि-कुकी-मज़िो-ज़ोमी समूह (जसिमें कुकी, थडौ, हमार, पैइट, वैफेर्झ और जू समुदाय शामल हैं) के लोगों का नवास है।
- कांगलीपाक राज्य (जो उस समय एक ब्रटिश संरक्षण राज्य था) पर उत्तरी पहाड़ियों से नीचे उत्तर कर आते नगा जनजातियों द्वारा बार-बार हमला किया जाता था। मणपुर के ब्रटिश राजनीतिक एजेंट ने इस समस्या के समाधान के लिये मैतैर्झ और नगाओं के बीच एक बफर के नरिमान के उद्देश्य से ब्रह्मा की कुकी-चनि पहाड़ियों से कुकी-ज़ोमी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया।
 - कुकी भी नगाओं की तरह उग्र हसिक योद्धा थे। महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के कनिरे बसने के लिये भूमिदी, जहाँ वे नचिली इफाल घाटी के लिये एक ढाल के रूप में कार्य कर सकते थे।
- कुकी-मैतैर्झ वभिदः पहाड़ी समुदायों (नगा और कुकी) और मैतैर्झ लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिये चले नगा आंदोलन ने मैतैर्झ और कुकी-ज़ोमी समुदायों में वदिरोह को जन्म दिया। कुकी-ज़ोमी समूहों ने 1990 के दशक में 'कुकीलैंड' (भारत के भीतर एक अलग राज्य) की मांग करने के लिये अपन सैन्यीकरण किया। इसने उन्हें मैतैर्झ से अलग कर दिया जानिकी पहले उन्होंने रक्षा की थी।
 - वर्ष 1993 में हट्टू मैतैर्झ लोगों का मुसलमान पंगलों (Pangals) से संघर्ष हुआ। उस दौरान जनजातीय नगाओं और कुकियों के बीच भी हसिक संघर्ष हुआ जहाँ नगाओं द्वारा एक ही दिन में सौ से अधिक कुकियों के नरसंहार की घटना भी हुई और हजारों कुकियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया।
- चुराचांदपुर ज़लिएः कुकी-ज़ोमी बहुल चुराचांदपुर (जो म्यांमार का सीमावर्ती ज़लिए है) की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। यह देश का नरिधनतम ज़लिए है (वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय की रपोर्ट के अनुसार) और अभी भी अत्यंत नरिधन बना हुआ है।
 - वर्ष 2015 में जसि तरह घाटी के मैतैर्झ लोगों ने इफाल शहर में ILP की मांग करते हुए वरिध-प्रदर्शन किया था, वैसा ही तीव्र वरिध-प्रदर्शन चुराचांदपुर में इस मांग और नए कानूनों के प्रवेश के वरिध में किया गया था।

आगे की राह

- वभिन्न समतियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार ST दर्जे (मैतैर्झ के लिये) के मानदंड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जैसे:
 - लोकुर समति (वर्ष 1965) ने पहचान के लिये 5 मानदंडों की अनुशंसा की थी- आदमि लक्षण, वशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क का संकेत और पछिड़ापन।
 - भूरिया आयोग (वर्ष 2002-2004) ने जनजातीय भूमिएवं वन, स्वास्थ्य एवं शक्षिका, पंचायतों के कार्यकरण और जनजातीय महलियों की स्थतिजैसे 5वीं अनुसूची के कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।
 - वर्ष 2013 में प्रो. वर्जिनियस शाशा (Prof. Virginius Xasa) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समति (HLC) का गठन किया गया जसि जनजाति समुदायों से संबंधित 5 महत्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन का कार्य सौंपा गया: (1) आजीविका एवं रोज़गार, (2) शक्षिका, (3) स्वास्थ्य, (4) अनैच्छिक वसिथापन एवं प्रवासन, और (5) वधिकि एवं संवेधानकि मामले।
- म्यांमार से प्रवासीयों की घुसपैठ को रोकने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक नगिरानी की व्यवस्था की जानी चाहिय। पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक एवं राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करने से क्षेत्रीय स्थरिता और सुरक्षा की वृद्धिकरने में मदद मिल सकती है।
- स्थानीय नवास की पहचान के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की पहचान पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। क्षेत्र में शांतिबनाए रखने के लिये स्थानीय वदिरोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना भी उपयुक्त कदम होगा।
- विवादासपद सशस्त्र बल वशिष्ट अधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act- AFSPA), 1958 का नरिसन क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिये आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिय किंकानूनी व्यवस्था नष्टिक्ष एवं पारदर्शी है ताकि सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- सरकार को क्षेत्र के लोगों में स्वामतिव और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिये नरिण्य लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रतोसाहित करना चाहिय।

अभ्यास प्रश्न: मणपुर में मैतैर्झ और कुकी समुदायों के बीच हाल की हसिक एवं अशांति के कारणों और परिणामों का परीक्षण करें। सभी हातिधारकों की शक्तियों

को दूर करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांतिएवं सद्भाव बहाल करने के लिये कौन-से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्र. नमिनलखिति पर विचार कीजिये:

| क्रम | परंपरा | राज्य |
|------|----------------------|----------|
| 1. | चापचरकूट त्योहार | मज़िरम |
| 2. | खोंगजोम परबा गाथागीत | मणपुर |
| 3. | थांग-टा नृत्य | साक्किमि |

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 2
- (C) केवल 3
- (D) केवल 2 और 3

उत्तर: (B)

प्र. यदिकिसी वशिष्ठ क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत लाया जाता है तो नमिनलखिति में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छा दर्शाता है? (वर्ष 2022)

- (A) यह आदविसी लोगों की भूमिको गैर-आदविसी लोगों के हस्तांतरण को रोक देगा।
- (B) यह उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण करेगा।
- (C) यह उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर देगा।
- (D) ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को वशिष्ठ शरणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (A)

/?/?/?/?/? /?/?/?/?/?/?/?

प्र. स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (ST) के खलिक भेदभाव को संबोधित करने के लिये राज्य द्वारा दो प्रमुख कानूनी पहल क्या हैं? (वर्ष 2017)